



माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2016 निगरानी

R-2033-PBR/16

प्रार्थी अभिभाषक श्री दिनेश चौरा
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 13/6/16
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

- 1- अनिल पिता हरिनारायण महाजन,
- 2- श्रीमती चन्द्रकला पति हरिनारायण महाजन
निवासीगण-अभिनंदन नगर मन्दसौर
- 3- रेखा पिता हरिनारायण पति अशोक धनोतिया
निवासी-रणायला तह. सीतामऊ जिला मन्दसौर

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1- वर्दीचन्द पिता फुलचन्द महाजन,
- 2- गोवर्धन पिता फुलचन्द महाजन,
- 3- प्रकाश पिता पन्नालाल,
निवासीगण-ग्राम विशनीया,
- 4- सुरजबाई पिता फलचन्द महाजन
निवासीगण-ग्राम गुराड़िया झाला राजस्थान
- 5- धापुबाई पिता फुलचन्द महाजन
निवासी-ग्राम कुरावन
- 6- सम्पत्त बाई पिता फुलचन्द महाजन
निवासी-श्यामगढ़
- 7- रामीबाई पिता फुलचन्द महाजन
निवासी-मन्दसौर

.....अनावेदक

अपील अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ जिला मन्दसौर के प्रकरण क्रमांक 23/अपील/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 22/03/16 से असंतुष्ट एवं दुःखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(Signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक R-2033 - PBR/16

तहसील आनल आर्डि

विरुद्ध वदीचण्ड आर्डि

जिला

जिला

मन्दरगढ़

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

तहसील का प्रकरण क्रमांक

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
24.6.2016	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक</p> <p>के विरुद्ध श्री <u>दिनेश व्यास</u></p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/..... रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p style="text-align: right;">प्रस्तुतकार</p> <p>आवेदन की और से श्री दिनेश व्यास अभिभावक उपस्थित। शाहमठ पर सुन गया। अनुक्रमणिका आवेदकी के आदेश दिनांक 22.3.16 की लघु प्रतिलिपि का अवलोकन</p>	<p style="text-align: right;">24/8</p>

Ordn
1 मीटर दूरी पर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>किया गया। अनुवर्तमानगीय अधिकारी द्वारा अधीनस्थ की 5 के आवेदन पत्र पर कालता हुआ आदेश जारी नहीं किया है। अतः अनुवर्तमानगीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22.3.2016 निरस्त किया जाकर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अधीनस्थ की धारा 5 के आवेदन पत्र पर कालता हुआ आदेश जारी करें।</p>	<p><i>[Signature]</i> अधीनस्थ</p>